फतेहपुर पुलिस

दिनांक 14.06.2026

सोशल मीडिया पर प्रसारित बहुआ जिंदपुर टोल प्लाजा पर अवैध वसूली संबंधी प्रकरण का संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

दिनांक 13.06.2026 को सोशल मीडिया एवं विभिन्न समाचार माध्यमों के माध्यम से प्रसारित एक वीडियो, जिसमें बहुआ जिंदपुर टोल प्लाजा पर व्यावसायिक वाहनों से कथित अवैध वसूली किए जाने तथा टोल कर्मियों की संलिप्तता संबंधी आरोप प्रदर्शित किए गए थे, का थाना ललौली पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया। प्रकरण की प्रारंभिक जांच एवं उपलब्ध तथ्यों के परीक्षणोपरांत थाना ललौली पर मु0अ0सं0 161/2026, धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा धारा 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

उक्त प्रकरण की विवेचना क्षेत्राधिकारी खागा द्वारा संपादित की जा रही है। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों एवं प्रकाश में आने वाले तथ्यों के आधार पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जनपद पुलिस भ्रष्टाचार, अवैध वसूली तथा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधि के प्रति पूर्णतः संवेदनशील, सतर्क एवं प्रतिबद्ध है। ऐसे प्रकरणों में निष्पक्ष, पारदर्शी एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।